

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/ 3653-60

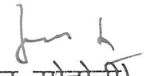
दिनांक : 01.06.2020

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(स)(5)स्था./डीटीए/3483-3555 दिनांक 14.05.2020 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति दर्शाते हुए अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर 15 दिवस की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 14.05.2020 को जारी कार्यालय आदेश में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

1. कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 12 पर अंकित श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर राकेश शर्मा पढ़ा जावें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वरिष्ठता के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् विभागीय कार्यालय आदेश दिनांक 14.05.2020 के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग की वरिष्ठता यथावत रखी जाती है। अतः कार्यालय आदेश दिनांक 14.05.2020 के द्वारा जारी मंत्रालयिक संवर्ग की अन्तरिम वरिष्ठता सूची को दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुरूप ही अन्तिम वरिष्ठता सूची समझा जावें।

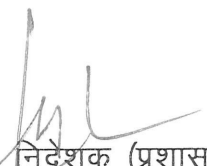

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/ 3653-60

दिनांक : 01.06.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर/ग्रामीण) जोधपुर/उदयपुर।
2. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साईट पर अपलोड करावें।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री/श्रीमती/सुश्री पद.....
5. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)